न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./105/2024/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
तेजाराम पुत्र गोमाराम, उम्र 64 वर्ष, जाति जाट, निवासी लूखो का तला, पटवार हल्का सरली, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर।		1. थानाराम पुत्र पीराराम 2. तिलाराम पुत्र पीराराम 3. खेताराम पुत्र पीराराम, जातियान जाट, निवासीयान लूखो का तला, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर। 4. श्रीमती कुंष्णा पुत्री पीराराम पत्नी सुखराम 5. श्रीमती पुष्पा पुत्री पुराराम पत्नी हीराराम, जाति जाट, निवासीयान मेवानगर तह. पचपदरा, जिला बाड़मेर। 6. श्रीमती पदमो पुत्री पुराराम पत्नी वीरमाराम, निवासी बालोतरा(राज.) 7. श्रीमती पारू देवी पत्नी पूनमाराम, जाति जाट, निवासी शास्त्री नगर, बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर 8. धनी पुत्री पीराराम पत्नी मोतीराम, जाति जाट निवासी सिणधरी, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 379/2023 बउनवान तेजाराम बनाम थानाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री कपिल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री विष्णु चौधरी रेस्पो. संख्या 01 व 03 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

—:निर्णय:—

दिनांकः—08.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा, लूखो का, तला, पटवार हल्का सरली, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1098/995 रकवा 4.4758 हेक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 994 रकबा क्रमशः 8.4903 हेक्टेयर की भूमि जो प्रार्थी/अपीलांट के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में, निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा लूखो का तला, पटवार हल्का सरली, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1098/995 रकबा 4.4758 हेक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 994 रकबा क्रमशः 8.4903 हेक्टेयर की भूमि जो प्रार्थी/अपीलांट के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 1099/995 के अभिलिखित खातेदार भेराराम, रामचन्द्र पिसरान चैनाराम, जाति जाट, निवासी लूखों का तला, पटवार हल्का संरली को बिना पक्षकार संयोजित किये एवं बिना नोटिस तामील करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के अध्याय 12 के नियम 69 व 70 में वर्णित प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए पारित किया गया है। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो उसे पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर कानूनन प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश पारित किया जाना होता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि के विहित प्रावधानों से परे जाकर पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपने अपीलाधीन आवेदन में प्रस्तावित रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा सख्या 994 के संबंध में अप्रार्थीगण/रेस्पों. द्वारा जवाब देते हुए कहा गया कि उक्त खसरा संख्या 994 में प्रस्तावित रास्ता दिये जाने से खेत दो टुकडों में विभक्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट को रास्ता नहीं दिया जावे या अगर दिया जाता है तो सेढे–सेढे रास्ता कायम किया जावें। केवल इस आपत्ति को मध्य नजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध जाकर पारित किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा संख्या 1099/995 में से रास्ता आदेशित किया गया है। जबकि उक्त आदेशित खसरा के पक्षकारान को बिना किसी प्रकार की सूचना प्रेषित किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि द्वारा बाधित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत व नियम 70 में डीएलसी दरों के दो गुणा मुआव़जे की राशि देने का प्रावधान रखा गया है। उक्त नियम में भूमि के बदले भूमि का कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। जबकि अपीलाधीन आदेश में भूमि के बदले भूमि देने का अभिवचन किया गया है। उक्तानुसार अपीलाधीन आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर पारित किया गया है। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में खेत संख्या 987 व 995 में अपीलांट के भाईयों ने आपसी सहमति से बंटवारा तहसीलदार, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर बंटवारा करते हुए नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व मौके पर सहमति से बंटवारा करते वक्त आपसी जोत से सड़के मार्ग तक जोड़ने हेतु अलग से संयुक्त रूप से मार्ग दर्शित करना था, लेकिन प्रार्थी/अपीलांट खातेदार द्वारा उक्त से परें जाकर जान बूझकर नामान्तरकरण पारित करवाया गया व अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता नहीं दिया। उसके बाद केवल मात्र रेस्पों. को परेशान करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई है जिसका कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के तथ्यों पर बिना गौर किये ही पारित किया गया प्रतीत होता है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश पारित करते समय खसरा संख्या 1099/995 के अभिलिखित पक्षकारान को बिना पक्षकार संयोजित किये ही उक्त खसरान में अपीलाधीन रास्ता पारित किया गया है। जबकि विधि अनुसार प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कथनों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर पारित किया गया प्रतीत होता है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 379/2023 बउनवान तेजाराम बनाम थानाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव बाबत् कटाण/चलायमान एवं निकटतम रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करें तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

8/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर